UPJB010045572026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा
पीठासीन अधिकारी– विवेक (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{JOCODE–UP2012}

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1017/2026

फूलकुंवर आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र नन्हें, निवासी गढ़ी कस्बा उझारी, थाना सैदनगली, जिला अमरोहा। ....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–141/2026
धारा–109(1) भारतीय न्याय संहिता
व 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–सैदनंगली, जिला अमरोहा।

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 03.07.2026

उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक /अभियुक्त **फूलकुंवर** की ओर से जमानत हेतु उपरोक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. संक्षेप में अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 18.05.2026 को वादी मुकदमा **थानाध्यक्ष विकास कुमार** के द्वारा थाना सैदनंगली में प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि दिनांक 17.05.2026 को मैं थानाध्यक्ष मय अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मय सरकारी गाड़ी न० – UP32EG3210 से थाना हाजा से वहवाले रपट न०–52 समय 22:02 बजे वास्ते तालाश वांछित अपराधी एवं वारंटी व चैकिंग संदिग्द व्यक्ति वाहन इलाका थाना क्षेत्र में मामूर होकर जब हम पुलिसवाले सकतपुर तिराहा कस्बा सैदनगली पहुँचे, तो मुखबिर द्वारा समय 23:10 बजे सूचना दी गयी कि आपके थाना क्षेत्र मे जो हाल ही में दो गांव से तीन भैंस चोरी हुई है, उन्हें चुराने वाले चोर आज उन भैसों की पुलिया सकतपुर रोड पर चैकिंग करे, तो चोट मय गाड़ी व भैसों के आपको मिल जायेगे। मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिसवालो ने मौके से गवाह फराहम करने का प्रयास किया परन्तु रात्रि का समय होने के कारण कोई भी जनता का गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। तब हम पुलिसवालो ने एक दुसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि हम में से किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई भी वस्तु नहीं है। जब हम लोग मय मुखबिर सकतपुर रोड हुसैनपुर पुलिया पर पहुंचकर चैकिंग की, तो हम पुलिसवाले ने सामने से आ रही गाड़ी को टार्चो की रोशनी डालते हुये रूकने का इशारा करते हुये रोकने का प्रयास किया, तो बामुश्किल गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने गाड़ी को रोका, जिससे हम पुलिसवालो को बाल–बाल चोट लगने से बची। गाड़ी के पीछे से एक आदमी उतरकर भागा, जिसका पीछा किया गया। उक्त व्यक्ति ने हम पुलिसवालों पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाते हुये कहा कि अगर मेरा पीछा किया, तो पुलिसवालो के गोली मार दूंगा। उक्त व्यक्ति द्वारा द्वारा चलायी गयी गोली का० –572 रोहित के दाहिने बाजू को छूती हुई निकल गयी। हम पुलिसवालों ने सिखलाये तरीके से अपने बचाव में दो फायर किया, तभी उक्त व्यक्ति चिल्लाया कि मुझे गोली लग गयी है और जमीन पर गिर गया। जिसके हाथ से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस पड़ा मिला। पकड़े गये व्यक्ति से इसका नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी, तो इसने अपना नाम फूलकुंवर पुत्र नन्हें, निवासी मौहल्ला गढी कस्बा उझारी थाना सैदनगली जनपद अमरोहा बताया। तदोपरांत उ०नि० अनिल कुमार त्यागी मय पुलिस के द्वारा घेराबंदी किये गये छोटा हाथी की खिड़की को सतर्कता पूर्वक खोलकर देखा गया, तो चालक सीट व कंडेक्टर सीट पर एक–एक व्यक्ति बैठा है, जिसमें चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम लुकमान पुत्र कलुवा निवासी ग्राम मछरिया थाना रहरा जनपद अमरोहा बताया तथा कंडेक्टर वाली सीट पर बैठे दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम दानिश कुरैशी पुत्र रहीस, निवासी ग्राम जयतौली थाना रहरा जनपद अमरोहा बताया। गाड़ी के नम्बर प्लेट पर नम्बर देखा गया तो रजि

Digitally signed by VIVEK AGGARWAL
Date: 2026.07.03 15:50:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सं० DL1LAF2080 अंकित है। बरामद छोटा हाथी से तीन भैंसे बरामद की गयी। बरामद भैसों के संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा अपराध सं०-135/2026 धारा 305 भारतीय न्याय संहिता व मुकदमा अपराध सं०-140/2026 धारा-305 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत है।

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा सम्बन्धित अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

05. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि उसे उपरोक्त मुकदमें में झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उससे कोई बरामदगी नहीं दिखायी गयी है। समस्त घटना झूठी व फर्जी है तथा मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उक्त वाद में पुलिस पार्टी के किसी सदस्य को कोई चोट नहीं आयी है। वह दिनांक 18.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि मामले की घटना दिनांक 18.05.2026 को समय 00:15 बजे रात्रि की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन समय 05:00 बजे सुबह सम्बन्धित थाने पर दर्ज करायी गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक के विरूद्ध अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर चोरी की भैसें का परिवहन करने तथा पुलिसवालो पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोप है।

07. केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि घटना में किसी भी व्यक्ति कोई चोट आना दर्शित नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक के विरूद्ध 15 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, जिसपर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह 06 मुकदमों में जुर्म स्वीकार कर चुका है तथा शेष मुकदमों में जमानत पर होना बताया है। आवेदक लगभग **06 सप्ताह** के अधिक समय से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले में विवेचना प्रचलित है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **फूलकुंवर** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक उपरोक्त द्वारा मुबलिग 30,000/-**(तीस हजार)** रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः-

1- आवेदक विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा।

2- आवेदक गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3- आवेदक न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत /जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4- आवेदक आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5- आवेदक विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक-03.07.2026

(विवेक)
सत्र न्यायाधीश
अमरोहा।

टाईपकर्ताः राजीव कश्यप, आशुलिपिक